

संख्या-२५२/२०२५/आर०एफ०-२२२५/नौ-९-२०२५/००२-ई-१९८३८५१

प्रेषक,

अरुण प्रकाश,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिसासी अधिकारी,  
नगर पंचायत,  
हेतिमपुर, जनपद-देवरिया/भरतकुण्ड भदरसा, जनपद-अयोध्या/  
बछरावाँ, जनपद-रायबरेली।

नगर विकास अनुभाग- 9

लखनऊ : दिनांक ०९ दिसम्बर, २०२५

विषय:-वित्तीय वर्ष २०२५-२६ में 'पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना' अनुदान संख्या-८३ से व्याज रहित ऋण के रूप में नगर पंचायतों के कार्यों/परियोजनाओं हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने एवं प्रथम किशत की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि सन्दर्भित नगरीय निकायों द्वारा पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-८३ के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास से संबंधित विभिन्न कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

२. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की नागर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निकायों की मांग पर पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से व्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत की जाती है। उपर्युक्त निकायों द्वारा प्रस्तुत परियोजना के आगणन/प्रस्ताव, कुल लागत धनराशि ₹० ३१७.४६ लाख (रूपये तीन करोड़ सत्रह लाख छियालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये कार्ययोजना में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष प्रथम किशत के रूप में ५० प्रतिशत की धनराशि ₹० १५०.०० लाख (रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) अनुदान संख्या-८३, पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अन्तर्गत व्याज रहित ऋण के रूप में निम्न विवरणानुसार एवं निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की मा० राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

## नगर पंचायत

अनुदान संख्या-८३

(धनराशि लाख ₹० में)

क्र० सं०	निकाय/जनपद का नाम	मद/कार्य	निकायों से प्राप्त डी०पी० आर० के अनुसार कार्यों की प्राक्कलित लागत/प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति	स्तम्भ-(४) के सापेक्ष कार्ययोजना में अनुमोदित धनराशि	प्रथम किशत के रूप में ५० प्रतिशत निर्गत की जा रही धनराशि
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
१	नगर पंचायत हेतिमपुर, जनपद-देवरिया।	१. नगर पंचायत हेतिमपुर में देवरिया मोड से लेकर मुण्डेराचन्द चौराहा तक ०९ मी० सिंगल आर्म पोल (ऑक्टगोनल) सहित १२० वॉट एल०ई०डी० स्ट्रीट लाइट मय स्थापना सहित कार्य।	६१.४६		

		2. नगर पंचायत हेतिमपुर वार्ड नं0-01 मेन रोड से महेन्द्र प्रसाद के घर के आगे श्री प्रभुनाथ शर्मा के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	39.73		
		3. नगर पंचायत हेतिमपुर वार्ड नं0-08 में श्री विनोद प्रसाद के घर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के मुख्य द्वार तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य।	13.32		
		<b>योग</b>	<b>114.51</b>	<b>100.00</b>	<b>50.00</b>
2	नगर पंचायत, भरतकुण्ड भदरसा, जनपद-अयोध्या	1. वार्ड संख्या 12 में मुन्नीलाल के मकान से शिवराम के मकान तक सी0सी0 सड़क तथा नाली व कवर्ड का निर्माण कार्य।	30.49		
		2. वार्ड संख्या 09 में मोहल्ला मुर्गीगंज में यूनश के मकान से चुन्नी के मकान तक सी0सी0 सड़क तथा नाली व कवर्ड का निर्माण कार्य।	18.59		
		3. वार्ड संख्या 03 में मोहम्मद सैफी के मकान के सामने से बहाव नाली तक सी0सी0 सड़क तथा नाली व कवर्ड का निर्माण कार्य।	33.99		
		4. नगर पंचायत भरतकुण्ड भदरसा में वार्ड नं0 08 दोस्तपुर में काली मों चौरा से इब्राहीमपुर रोड ब्रहमबाबा तक 7 मीटर अक्टागोनल पोल एवं स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य।	9.19		
		5. नगर पंचायत भरतकुण्ड भदरसा में वार्ड नं0 01 में सतीश के घर से तुलसीराम के घर तक 7 मीटर अक्टागोनल पोल एवं स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य।	9.19		
		<b>योग</b>	<b>101.46</b>	<b>100.00</b>	<b>50.00</b>
3	नगर पंचायत, बछरावों, जनपद-रायबरेली	1. वार्ड नं0-01 दक्षिण चमरहिया के अन्तर्गत पुराना पिक्चर हॉल के सामने से राम सजीवन के मकान होते हुए पंकज के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	10.27		
		2. वार्ड नं0-01 दक्षिण चमरहिया के अन्तर्गत अवध राम यादव के घर से प्रभाशंकर दीक्षित के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	4.42		
		3. वार्ड नं0-01 दक्षिण चमरहिया के अन्तर्गत राम सजीवन के घर से पंचम के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	2.78		
		4. वार्ड नं0-01 दक्षिण चमरहिया के अन्तर्गत बसंतलाल के मकान से प्रेम के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	3.64		
		5. वार्ड नं0-02 किला मोहल्ला के अन्तर्गत दिनेश रावत के घर से दुर्गा प्रसाद के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	2.45		
		6. वार्ड नं0-02 किला मोहल्ला के अन्तर्गत अंजनी लोध के घर से मासूम अली के घर होते हुए पीर गुलाम के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	9.00		
		7. वार्ड नं0-02 किला मोहल्ला के अन्तर्गत सुरेश धानू के घर से सावन किन्नर के घर होते हुए डॉ नारेन्द्र के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	7.94		
		8. उत्तर चमरहिया में सामुदायिक केन्द्र के पीछे स्थित तालाब के तीन तरफ पार्थिव हेतु सी0सी0 रोड नाली का निर्माण कार्य।	7.98		
		9. वार्ड नं0-03 सत्यनरायन टोला के अन्तर्गत श्रीमती सत्यभामा के घर से पोले के घर होते हुए रंजीत के घर तक सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	8.34		

	10. वार्ड नं0-03 सत्यनरायन टोला के अन्तर्गत अरविन्द एडवोकेट के घर से सनसाइन पब्लिक स्कूल तक सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	2.00		
	11. वार्ड नं0-04 के अन्तर्गत मोहल्ला कूटी में डॉ0 चॉदसी दवाखाना से मोनू खॉन के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	3.02		
	12. वार्ड नं0-04 के अन्तर्गत मोहल्ला कूटी में गुप्ता मार्केट में सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	2.78		
	13. वार्ड नं0-04 कूटी मोहल्ला के अन्तर्गत प्रमोद कुमार के मकान से रामकिशोर के मकान तक सी0सी0 रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	9.18		
	14. नगर पंचायत बछरावां वार्ड सं0-01 से 04 तक मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु 52 वॉट-72 वॉट तक एलईडी स्ट्रीट लाइट कम्प्लीट फिटिंग का कार्य।	27.67		
	<b>योग</b>	<b>101.49</b>	<b>100.00</b>	<b>50.00</b>
	<b>कुल योग (नगर पंचायत : अनुदान सं0-83)</b>	<b>317.46</b>	<b>300.00</b>	<b>150.00</b>

**नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों**

- (1) यह धनराशि सम्बन्धित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-बी-4-918/दस-2006-8/1965टी0सी0 दिनांक-21.09.2006 की व्यवस्थानुसार 03 वर्ष के मॉरीटोरियम के पश्चात दस समान वार्षिक किशतों में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत निकायों को प्राप्त होने वाली धनराशि से समायोजन द्वारा वापसी सुनिश्चित की जायेगी।
- (2) संबंधित निकाय द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0/आगणन में प्रस्तावित/प्राक्कलित लागत एवं योजनान्तर्गत स्वीकृत की जा रही कुल धनराशि के अन्तर की धनराशि निकाय द्वारा स्वयं के स्रोतों से वहन की जायेगी।
- (3) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क आर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही संबंधित निकायों द्वारा स्वीकृत कार्य हेतु व्यय की जायेगी।
- (4) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 व डिपॉजिट खाते में नहीं रखी जाएगी।
- (5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन पर ही किया जायगा अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये इसका समस्त उत्तरदायित्व निकाय का होगा सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायगा।
- (6) प्रस्तावित प्रायोजना के कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं एवं मानकों को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित निकाय/ कार्यदायी संस्था का होगा।
- (7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससयम पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- (8) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के कार्य स्थल पर डिस्पले बोर्ड पर योजना का नाम अर्थात् पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा पूर्ण होने की सम्भावित

- तिथि का उल्लेख किया जाएगा। कार्य योजना का प्रस्ताव निकाय बोर्ड की बैठक में पारित कराने का दायित्व सम्बन्धित निकाय का होगा।
- (9) स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ के माध्यम से सचिव/प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग/वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जाएगा।
  - (10) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए समपबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाए। सामग्री/ उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाएगा। विद्युत कार्यों के लिये शासनादेश संख्या-1383/9-9-14-943/14, दिनांक 19.11.2014 एवं शासनादेश संख्या-227/2015/1689-नौ-8-2015-96/2015, दिनांक 20.11.2015 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
  - (11) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए।
  - (12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
  - (13) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
  - (14) स्वीकृत कार्यों के लिये स्थानीय निकाय कार्यदायी संस्था होगी।
  - (15) प्रस्तावित प्रायोजना में उल्लिखित विस्तृत ड्राइंग डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति, जिसका सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया हो के आधार पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा तथा आकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।
  - (16) उपर्युक्त अवस्थापना विकास के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे हैं। अतः शासनादेश निर्गत होने के पश्चात तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।
  - (17) योजनान्तर्गत वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27 मार्च, 2025 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
  - (18) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष (31 मार्च, 2026 तक) में सुनिश्चित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, 30प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। यह कार्यवाही सम्बन्धित निकाय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
  - (19) आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये अधिशासी अधिकारी/अभियंता उत्तरदायी होंगे।
  - (20) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करा ली जायें।
  - (21) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग नीति आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0 सी0एस0टी0/टी0एस0सी0 हेतु निर्धारित मानक व दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाये।
  - (22) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग शासनादेश संख्या-1319/नौ-9-21-457/21, दिनांक 30.06.2021 तथा यथा-संशोधित शासनादेश संख्या-1125/नौ-9-2025/45/2021-ई-1749112, दिनांक- 04.06.2025 एवं संख्या-1124/नौ-9-2025/45ज/2021-ई-1749112, दिनांक- 04.06.2025 द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure SOP) में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

- (23) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय-सीमा/अवधि में ही पूर्ण हो जाये, जिससे टाइम ओवर रन एवं कॉस्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।
3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 150.00 लाख (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 6215027890403 नगर पंचायतें मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।
4. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-9-144-X-2025-26, दिनांक-08.12.2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भारतीय  
Digitally signed by  
ARUN PRAKASH  
(अरुण प्रकाश)  
Date: 09-12-2025  
15:15:19  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-252/2025/आर0एफ02225/नौ-9-2025/002-ई-1983851, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
9. कोषाधिकारी, जनपद-देवरिया/अयोध्या/रायबरेली।
10. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9।
11. पी0एम0यू0 यूनिट/बेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरुण प्रकाश)  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

## Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026  
आवंटन दिनांक-09/12/2025


प्रेषण संख्या:- 252  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-252-2025-RF-2225-9-9-2025-002-E-1983851  
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)  
(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
02 - मल-जल तथा सफाई  
789 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना  
04 - पं. दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना  
03 - नगर पंचायतें

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	देवरिया-4183-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 34999000	5000000 34999000
2	रायबरेली-4183-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 19900000	5000000 19900000
3	अयोध्या-4183-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 5000000	5000000 5000000
	योग	वर्तमान प्रगामी	15000000 59899000	15000000 59899000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ पचास लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पाँच करोड़ अठानवे लाख निन्यानवे हजार

  
(कल्याण बनर्जी)  
विशेष सचिव